रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082022-238086
CG-DL-E-13082022-238086

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2022/श्रावण 21, 1944**
No. 551]	**NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2022/SHRAVANA 21, 1944**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 625(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 47 (अ), तारीख 27 जनवरी, 2022 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसकों उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनसाधारण को 27 जनवरी, 2022 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए है, केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर नियम (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 115-ख में,

(i) उपनियम क में,--

(क) खंड (II) के उपखंड (क) की खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(v) 1 अप्रैल 2016 को और उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए सन्नियम दो और तीन पहिया यानों के लिए न्यूनतम भारत स्टेज- IV उत्सर्जन मानदंडों के अध्ययधीन रहते हुए, यथाप्रयोज्य टाइप अनुमोदन ।"

(ख) खंड (II) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(III) 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू के साथ एल, एम और एन श्रेणियों के इन-यूज बीएस VI गैसोलीन यान के लिए: -

(क) केवल सीएनजी (प्राकृतिक गैस) किट से लैस यान को टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई सारणी के अनुसार प्रदर्शन परीक्षण किए जाएंगे:

सारणी

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1.एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी115/ 116 भाग 14अध्याय 14उपाबंध 3, सीएमवी नियम 115 (18)(i),115 (19),115 (20) या 115 (22) जैसा लागू हो 2.एआईएस -137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर (उपयोग में प्रदर्शन अनुपात)	
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी टेस्ट	एआईएस 003
6.	ईएमसी टेस्ट (यान स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (भाग 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन टिप्पण :केवल तभी जब अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/वेरिएंट के संबंध में, कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	एआईएस -098

ख) यान यथाप्रयोज्य एआईएस 024, एआईएस -028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

(ग) सीएनजी किट से रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और हर तीन साल में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।

(घ) सीएनजी प्रचालन के लिए रेट्रोफिटेड/परिवर्तित वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन विशिष्ट रूप से निर्मित वाहनों के लिए दिया जाएगा और इस तरह की किट को किसी भी यान में सीसी इंजन क्षमता की विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी से ऊपर के वाहनों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ङ) अनुरूपता कारक (सीएफ) की गणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए डाटा संग्रह के लिए वहनीय उत्सर्जन माप प्रणाली (पीईएमएस) का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन चक्र उत्सर्जन मापा जाएगा।

(च) इंजन की शक्ति को समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 में विहित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा। सीएनजी पर मापी गई शक्ति -15% ≤ गैसोलीन पर मापी गई शक्ति के संबंध में सीएनजी पर शक्ति ≤ +5% की सीमा के भीतर होगी और शक्ति की जांच, विनिर्माता के अनुरोध पर, किसी चैसिस डायनेमोमीटर पर संपूर्ण यान पर की जा सकती है । इंजन की शक्ति, पहियों पर नापी गई शक्ति के जोड़ और यान के पारेषण में हुई हानि के रुप में संगणित की जाएगी ।

(छ) सीएनजी यान या किट घटक, उनके संस्थापन सहित, उपाबंध 9 में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरूप होंगे।

(ज) इन-सर्विस अनुरूपता और इन-यूज प्रदर्शन अनुपात (आईयूपीआर) अपेक्षाएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष पश्चात् लागू होंगी"

(ii) उपनियम ख में, खंड (II) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

""(III) 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू के साथ एल, एम और एन श्रेणी के इन-यूज डीजल वाहनों के इंजनों के संपरिवर्तन द्वारा रूपांतरण के लिए:-

(क) केवल सीएनजी प्रचालन के लिए रेट्रोफिटेड/परिवर्तित यान को टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रदर्शन परीक्षण किए जाएंगे:

सारणी

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1.एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी115/ 116 भाग 14अध्याय 14उपाबंध 3, सीएमवी नियम 115 (18)(i), 115(19), 115(20) या 115(22) जैसा लागू हो 2.एआईएस -137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर	
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी टेस्ट	एआईएस 003
6.	ईएमसी टेस्ट (यान स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (भाग 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन टिप्पण: केवल तभी जब अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/वेरिएंट के संबंध में, कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	एआईएस-098

ख) यान यथाप्रयोज्य एआईएस 024, एआईएस -028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा अपेओं को पूरा करेंगे ।

(ग) सीएनजी किट से रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और हर तीन साल में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।

(घ) सीएनजी किट को विशिष्ट रूप से निर्मित वाहनों के लिए टाइप अनुमोदित किया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी यान में सीसी इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी तक के वाहनों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ड.) अनुरूपता कारक (सीएफ) की गणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन साल के लिए डाटा संग्रह के लिए पीईएमएस का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन चक्र उत्सर्जन मापा जाएगा।

(च) इंजन की शक्ति को समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 में विहित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा। सीएनजी पर मापी गई शक्ति -15% ≤ डीजल पर मापी गई शक्ति के संबंध में सीएनजी पर शक्ति ≤ +5% की सीमा के भीतर होगी। शक्ति परीक्षण संपूर्ण यान के चेचिस डायनमोमीटर पर विनिर्माता के अनुरोध पर किया जा सकेगा ।

(छ) सीएनजी यान या किट कंपोनेंट्स, उनके संस्थापन सहित, उपाबंध IX में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरूप होंगे।

(ज) इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर अपेक्षाएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से 3 साल के बाद लागू होंगी।"

(ii) उपनियम गक के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"गख. 3.5 टन से कम जीवीडब्ल्यू के साथ एल, एम और एन श्रेणियों के यान के लिए नए सीएनजी इंजन द्वारा इन-यूज बीएस VI डीजल इंजन का प्रतिस्थापन: - (क) नए सीएनजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापित डीजल इंजन वाले इन-यूज बीएस VI यान के टाइप अनुमोदन के लिए, यह बीएस VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करेगा जैसा कि इसके उपयोग के स्थान के संबंध में यान की श्रेणी पर लागू होता है, जो नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित परीक्षणों पर निर्भर है।

सारणी

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1.एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी115/ 116 भाग 14अध्याय 14उपाबंध 3, सीएमवी नियम 115 (18)(i),115 (19),115 (20) या 115 (22) जैसा लागू हो 2.एआईएस -137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर	
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी टेस्ट	एआईएस 003
6.	ईएमसी टेस्ट (यान स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (भाग 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन टिप्पण: केवल तभी जब अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/वेरिएंट के संबंध में, कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	एआईएस -098

ख) यान यथाप्रयोज्य एआईएस 024, एआईएस -028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा अपेओं को पूरा करेंगे ।

(ग) सीएनजी किट से रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और हर तीन साल में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।

(घ) सीएनजी किट को विशिष्ट रूप से निर्मित वाहनों के लिए टाइप अनुमोदित किया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी यान में सीसी इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी तक के वाहनों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ड.) अनुरुपता कारक (सीएफ) की संगणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की लिए डाटा संग्रहण के लिए पीईएमएस का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन वक्र उत्सर्जन मापा जाएगा ।

(च) इंजन की शकुति को समय-समय पर संशोधित एआईएस में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा । सीएनजी पर मापी गई शक्ति -15%≤ डीजल पर मापी गई शक्ति के संबंध में सीएनजी पर शक्ति≤ +5% की सीमा के भीतर होगी । शक्ति की जांच, विनिर्माता के अनुरोध पर, किसी चैसिस डायनेमोमीटर पर संपूर्ण यान पर की जा सकती है । इंजन की शक्ति, पहियों पर नापी गई शक्ति के जोड़ और यान के पारेषण में हुई हानि के रुप में संगणित की जाएगी ।

(छ) सीएनजी यानों और किट संघटकों, जिसके अंतर्गत उनका संस्थापन भी हैं, उपाबंध 9 में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरुप होंगे ।

(ज) सेवा – में अनुरुपता और आईयूपीआई अपेक्षाएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष के पश्चात लागू होंगी"

3. उक्त नियम के नियम 115-ग में,

(i) उप नियम 3 के खंड (क) में, उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(v) 1 अप्रैल 2016 को और उसके पश्चात्, विनिर्मित यानों के लिए यथा लागू टाइप अनुमोदन मानदंड, दुपहिया और तिपहिया यानों के लिए न्यूनतम भारत स्टेज- IV उत्सर्जन मानदंडों के अधीन रहते हुए ।"

(ii) उप नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम, अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) 3.5 टन से कम सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) के साथ एल, एम और एन श्रेणियों के इन-यूज बीएस VI गैसोलीन यान के लिए: -(क) एलपीजी किट से लैस यान को टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई सारणी के अनुसार प्रदर्शन परीक्षण किया जाएगा:

सारणी

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1. सीएमवी नियम 115 (18)(i),115 (19),115 (20) या 115 (22) यथा लागू मओआरटएच/सीएमवीआर/टीएपी 115/116 भाग 14, अध्याय 14 उपाबंध 3 2.एआईएस-137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर	
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी परीक्षण	एआईएस 003
6.	ईएमसी परीक्षण (यान स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (पार्ट 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन **टिप्पण :** केवल तभी जब अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/वेरिएंट के संबंध में, बिना भार के कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	एआईएस-098

ख) यान यथा लागू, एआईएस 025, एआईएस-026 और एआईएस 027 के अनुसार सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे ।

(ग) एलपीजी किट से रेट्रोफिट किए गए यानों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए फिट माना जाएगा और हर तीन वर्ष में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा ।

(घ) एलपीजी किट के लिए टाइप अनुमोदन विशिष्ट रूप से निर्मित यानों के लिए दिया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी यान में सीसी की इंजन क्षमता की विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी तक के यानों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ड.) अनुरूपता कारक (सीएफ) की संगणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए डाटा संग्रहण के लिए पीईएमएस का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन चक्र उत्सर्जन मापा जाएगा।

(च) इंजन की शक्ति को समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा। एलपीजी पर मापी गई शक्ति -15% ≤ गैसोलीन पर मापी गई शक्ति के संबंध में एलपीजी पर शक्ति ≤ +5% की सीमा के भीतर होगी । शक्ति की जांच, विनिर्माता के अनुरोध पर, किसी चैसिस डायनेमोमीटर पर संपूर्ण यान पर की जा सकती है । इंजन की शक्ति, पहियों पर नापी गई शक्ति के जोड़ और यान के पारेषण में हुई हानि के रुप में संगणित की जाएगी ।

(छ) सीएनजी यानों और किट संघटकों, जिसके अंतर्गत संस्थापन भी हैं, उपाबंध 9 में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरुप होंगे ।

(ज) सेवा – में अनुरूपता और आईयूपीआई अपेक्षाएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष के पश्चात लागू होंगी"

(झ) किट विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता परीक्षण एजेंसी को जांच और अनुमोदन के लिए संबंधित मॉडलों, जिस पर कोई भी अनुमोदित किट लगाया जाना है, में एलपीजी किट के रेट्रोफिटमेंट के लिए एक लेआउट प्लान उपलब्ध कराएंगे। किट का रीट्रोफिटमेंट इस प्रकार के अनुमोदित लेआउट प्लान के आधार पर ही होगा। परीक्षण एजेंसियों को विशेष रूप से ऐसे मॉडलों और उनके प्रकारों, जिन पर प्रमाण पत्र मान्य होगा, को दर्शित करना अपेक्षित होगा।

(iii) उप नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम, अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7क). 3.5 टी से अन्यून जीवीडल्ल्यू के साथ एल, एम और एन क्षेणी यानों के लिए नए एलपीजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापन: (क) प्रयोग में बीएस VI यान, जिसमें डीजल इंजन के स्थान पर नया एलपीजी इंजन रखा गया है, के अनुमोदन प्रकार हेतु, इसके प्रयोग के स्थान के संबंध में यान श्रेणी को यथालागू बीएस VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करेगा, नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित परीक्षणों अधीन रहते हुए:-

सारणी

क्र.सं.	लागू परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
1.	मास उत्सर्जन परीक्षण (टाइप I परीक्षण)	1.सीएमवी नियम 115 (18)(i),115 (19),115 (20) या 115 (22) यथा लागू मओआरटएच/सीएमवीआर/टीएपी 115/116 भाग 14, अध्याय 14 उपाबंध 3 2.एआईएस -137
2.	ऑन-बोर्ड निदान	
3.	इन-सर्विस अनुरूपता और आईयूपीआर	
4.	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	कार्बन डाईऑक्साइड को मापा और रिपोर्ट किया जाना है
5.	ग्रेडेबिलिटी परीक्षण	एआईएस 003
6.	ईएमसी परीक्षण (यान स्तर या असेंबली स्तर)	एआईएस 004 (पार्ट 3)
7.	ऑफसेट फ्रंटल कोलीजन टिप्पण : केवल तभी जब, अधिकतम जीवीडब्ल्यू वाले अनुमोदित मॉडल/प्रकार के संबंध में, कर्ब मास में 8% से अधिक की वृद्धि हुई हो	एआईएस-098

ख) यान यथा लागू एआईएस 024, एआईएस -028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

(ग) एलपीजी किट से रेट्रोफिट किए गए यानों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और हर तीन वर्ष में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।

(घ) एलपीजी किट के लिए टाइप अनुमोदन विशिष्ट रूप से निर्मित यानों के लिए दिया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी यान में सीसी इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर 1500 सीसी तक के यानों के लिए ± 7% और 1500 सीसी से ऊपर ± 5% की क्षमता सीमा के भीतर रेट्रोफिटमेंट के लिए उपयुक्त माना जाएगा।

(ड.) अनुरूपता कारक (सीएफ) की संगणना के लिए अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए डाटा संग्रहण के लिए पीईएमएस का उपयोग करते हुए रीयल वर्ल्ड चालन चक्र उत्सर्जन मापा जाएगा।

(च) इंजन की शक्ति को समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा। एलपीजी पर मापी गई शक्ति -15% ≤ डीजल पर मापी गई शक्ति के संबंध में सीएनजी पर शक्ति ≤ +5% की सीमा के भीतर होगी। शक्ति की जांच, विनिर्माता के अनुरोध पर, किसी चैसिस डायनेमोमीटर पर संपूर्ण यान पर की जा सकती है । इंजन की शक्ति, पहियों पर नापी गई शक्ति के जोड़ और यान के पारेषण में हुई हानि के रुप में संगणित की जाएगी ।

(छ) सीएनजी यानों और किट संघटकों, जिसके अंतर्गत संस्थापन भी हैं, उपाबंध 9 में दी गई सुरक्षा जांच के अनुरुप होंगे ।

(ज) सेवा – में अनुरूपता और आईयूपीआई अपेक्षाएं इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष के पश्चात लागू होंगी"

[फा. सं. आर.टी. 11036/60/2021-एमवीएल)]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना सा.का.नि. सं. 590 (अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 617(अ) तारीख 3 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2022

G.S.R. 625(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 47(E), dated the 27^{th} January, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 27^{th} January, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 27^{th} January, 2022;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115-B,-

(i) in sub-rule A,-

(a) in clause (II), in sub-clause (a), after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-

"(v) for the vehicles manufactured on and after the 1^{st} day of April 2016, the type approval norms as applicable, subject to minimum of Bharat Stage-IV emission norms for two and three wheeler.";

(b) after clause (II), the following clause shall be inserted, namely:-

"(III) For in-use BS VI gasoline vehicle of categories L, M&N with GVW less than 3.5T.-

(a)For the purpose of granting type approval to the vehicle fitted with a CNG (natural gas) kit, performance tests shall be carried out as per the table below:-

TABLE

Sl. No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable MoRTH/CMVR/ TAP115/116 Part XIV Chapter 14 Annexure 3 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR(In-use performance ratio)	
4.	CO2 emission	CO2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision Note: only if there is increase in the kerb mass w.r.t approved model/variant having highest GVW, by more	AIS-098

	than 8%	

(b)Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

(c)Type approvals for vehicles retrofitted with CNG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) Type approval for vehicles retrofitted or modified for CNG operation shall be given for vehicles of specific make and such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% tolerance for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using Portable Emissions Measurement Systems (PEMS) shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended from time to time. Measured power with CNG shall be within a range of -15% ≤ Power on CNG ≤ +5% w.r.t the power measured on gasoline and the power test can be performed, on request of the manufacturer, on the complete vehicle on a chassis dynamometer. The engine power shall be calculated as the sum of the power measured at wheels and the transmission losses of the vehicle.

(g) CNG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in Annexure IX.

(h) In-service conformity and In-use Performance Ratio (IUPR) requirements to be applicable after three years from the date of implementation of this notification.";

(ii) in sub-rule B, after clause (II), the following clause shall be inserted, namely:-

"(III) For conversion by modification of engines of in-use diesel vehicle of categories L, M&N with GVW less than 3.5T.- (a)For the purpose of granting type approval to the vehicle retrofitted or modified for dedicated CNG operation, performance tests shall be carried out as per the table below:-

TABLE

Sl. No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable MoRTH/CMVR/ TAP115/116 Part XIV Chapter 14 Annexure 3 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR	
4.	CO_2 emission	CO_2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision Note: only if there is increase in the kerb mass w.r.t approved model or variant having highest GVW, by more than 8%	AIS-098

(b)Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

(c)Type approvals for vehicles retrofitted with CNG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) CNG kit shall be type approved for vehicles of specific make. Such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended time to time. Measured power with CNG shall be within a range of -15% ≤ Power on CNG ≤ +5% w.r.t. the power measured on diesel. The power test can be performed, on request of the manufacturer, on the complete vehicle on a chassis dynamometer. The engine power shall be calculated as the sum of the power measured at wheels and the transmission losses of the vehicle.

(g) CNG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in Annexure IX.

(h) In-service conformity and IUPR requirements to be applicable after three years from the date of implementation of this notification.";

(iii) after sub-rule CA, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"CB. **Replacement of In-use BS VI Diesel engine by new** CNG **engine for vehicle categories L,M&N with GVW less than 3.5T**.- (a)For type approval of in-use BS VI vehicle having diesel engine replaced by new CNG engine, it shall meet BS VI emission norms as applicable to the category of vehicle in respect of its place of use subject to tests mentioned in the table given below:-

TABLE

Sl. No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable MoRTH/CMVR/ TAP115/116 Part XIV Chapter 14 Annexure 3 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR	
4.	CO2 emission	CO2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision Note: only if there increase in the kerb mass w.r.t approved model/variant having highest GVW, by more than 8%	AIS-098

(b) Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

(c) Type approvals for vehicles retrofitted with CNG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) CNG kit shall be type approved for vehicles of specific make. Such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended from time to time. Measured power with CNG shall within a range of -15% ≤ Power on CNG ≤ +5% w.r.t. the power measured on diesel. The power test can be performed, on request of the manufacturer, on the complete vehicle on a chassis dynamometer. The engine power shall be calculated as the sum of the power measured at wheels and the transmission losses of the vehicle.

(g) CNG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in the Annexure IX.

(h) In-service conformity and IUPR requirements to be applicable after 3 years from the date of implementation of this notification."

3. In the rule 115-C of the said rules,-
(i) in sub-rule (3), in clause (a), after sub-clause (iv), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(v) For the vehicles manufactured on and after the 1st day of April 2016, the type approval norms as applicable subject to minimum of Bharat Stage-IV emission norms for two and three wheeler.";

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) For in-use BS VI gasoline vehicle of categories L, M and N with Gross Vehicle Weight (GVW) less than 3.5T.- (a)For the purpose of granting type approval to the vehicle fitted with a LPG kit, performance tests shall be carried out as per the table below:-

TABLE

Sl. No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable MoRTH/CMVR/ TAP115/116 Part XIV Chapter 14 Annexure 3 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR	
4.	CO2 emission	CO2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision **Note:** only if there increase in the unladen kerb mass w.r.t approved model/variant having highest GVW, by more than 8%	AIS-098

(b)Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 025, AIS-026 & AIS 027 as applicable.

(c)Type approvals for vehicles retrofitted with LPG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) LPG kit shall be type approved for vehicles of specific make. Such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended time to time. Measured power with LPG shall be within a range of -15% ≤ Power on LPG ≤ +5% w.r.t. the power measured on gasoline. The power test can be performed, on request of the manufacturer, on the complete vehicle on a chassis dynamometer. The engine power shall be calculated as the sum of the power measured at wheels and the transmission losses of the vehicle.

(g) LPG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in the Annexure VIII.

(h) In-service conformity and IUPR requirements to be applicable after 3 years from the date of implementation of this notification.

(i) The kit manufacturers or suppliers shall provide a layout plan for retrofitment of LPG kit in the respective models on which any approved kit is to be installed, to the test agency for vetting and approval. The retrofitment of kit shall be on the basis of such type approved layout plan only. Testing agencies will be required to indicate specifically the models and their variants on which certificate will be valid.";

(iii) after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(7A) **Replacement of In-use BS VI Diesel engine by new LPG engine for vehicle categories L,M&N with GVW less than 3.5T**.- (a)For type approval of in-use BS VI vehicle having diesel engine replaced by new LPG engine, it shall meet BS VI emission norms as applicable to the category of vehicle in respect of its place of use, subject to tests mentioned in the table given below:-

TABLE

Sl. No.	Applicable test	Reference document
1.	Mass emission test (Type I test)	1.CMV Rule 115 (18)(i),115 (19),115 (20) or 115 (22) as applicable MoRTH/CMVR/ TAP115/116 Part XIV Chapter 14 Annexure 3 2.AIS-137
2.	On-Board diagnosis	
3.	In-service conformity and IUPR	
4.	CO2 emission	CO2 to be measured and reported
5.	Gradeability test	AIS 003
6.	EMC test (Vehicle level or assembly level)	AIS 004 (part 3)
7.	Offset Frontal Collision Note: only if there is increase in the kerb mass w.r.t approved model/variant having highest GVW, by more than 8%	AIS-098

(b)Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

(c)Type approvals for vehicles retrofitted with LPG kits shall be valid for three years from the date of issue of such approval and shall be renewed for every three years at a time.

(d) LPG kit shall be type approved for vehicles of specific make. Such kit shall be considered fit for retrofitment in any vehicle within a specified range of engine capacity of cc within a range of ± 7% for vehicles up to 1500 cc & ± 5% above 1500 cc.

(e) Real world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for data collection for three years from the date of notification for the computation of Conformity factor (CF).

(f) The engine power shall be measured on engine dynamometer as per procedures prescribed in AIS 137 as amended time to time. Measured power with LPG shall be within a range of -15% ≤ Power on LPG ≤ +5% w.r.t. the power measured on diesel. The power test can be performed, on request of the manufacturer, on the complete vehicle on a chassis dynamometer. The engine power shall be calculated as the sum of the power measured at wheels and the transmission losses of the vehicle.

(g) LPG vehicles or kit components, including their installation, shall conform to the safety checks given in the Annexure VIII.

(h) In-service conformity and IUPR requirements to be applicable after 3 years from the date of implementation of this notification.”.

[F.No. RT-11036/60/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 617(E) dated the 3rd August, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.08.13 11:54:46 +05'30'